

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

अहकाम

बनाम कलीशाम

मुकदमा : प्रार्थना-पत्र

नं० 105

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
7/10/2024	<p>जेसेस दिनांक 17/10/2024 को पेश हो</p> <p>S.D.O.</p> <p>पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारण उपस्थित। वकील अर्जी द्वारा प्रार्थना आवश्यक पक्षकारणी बनाने जाने के कारण प्रार्थना धारा-251ए का खरीज करने का पेश किया गया जो शांतिपूर्ण है। वकील अर्जी द्वारा संशोधित टाईटल प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो प्रमाणित निर्दिष्ट किया जाता है कि संशोधित टाईटल आवश्यक रूप से पेश किया जावे अन्यथा प्रार्थना धारा-251ए खरीज करवा जावे। पत्रावली वास्तु में प्रार्थना पत्र व संशोधित टाईटल दिनांक 29/10/2024 को पेश हो।</p> <p>S.D.O.</p> <p>पत्रावली पेश हुई... अर्थात् संघ द्वारा... कार्य... स्थगित करने से... अब पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 05/11/2024 को पेश की जावे।</p> <p>Bijay Singh</p>	
29/10/2024		
05/11/2024	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगाई गई बावजूद प्रार्थी व वकील प्रार्थी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में उपकरण प्रार्थी की ओर से पेश की हेतु उपस्थित नहीं होने से प्रार्थना-पत्र इसी स्तर पर अदम एंजिरी अदम पेश की में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	